TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(REVENUE DEPARTMENT:DELHI)
5, SHAM NATH MARG, DELHI

F No. 7(14)/REV./GA/Rev. P/DC/2012/ 3302 Dated the 22-2-2013

NOTIFICATION

1. **F No. 7(14)/REV./GA/Rev. P/DC/2012.-** In supersession of all previous notifications appointing Deputy Commissioner / Collector of the National Capital Territory of Delhi and in exercise of the powers conferred by section 4 read with section 74 of Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint all the Deputy Commissioners of respective Districts and Head Quarters of Revenue Department, Government of National Capital Territory of Delhi as Collectors and Deputy Commissioners in respective Districts and National Capital Territory of Delhi respectively and empowers them to discharge the functions of Collectors and Deputy Commissioners under the Delhi Land Reforms Act, 1954 and Delhi Land Revenue Act, 1954 w.e.f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department, or till further orders which ever is earlier.
2. Further, in exercise of powers conferred by section 105(1)(a) of the Punjab Tenancy Act, 1887, section 27(1) (a) of the Punjab Land Revenue Act, 1887, section 14 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 and section 41(1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon all the Deputy Commissioners of respective Districts and Head Quarters of Revenue Department, Government of National Capital Territory of Delhi, Delhi, all powers of the Collector under the said Acts and delegates them the powers of hearing appeals under section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer(Consolidation) passed under section 21(3) of the said Act respectively in their respect Districts and National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as they hold post of the Deputy Commissioner in the Revenue Department, or till further orders which ever is earlier.

Office of the Deputy Commissioner Central, Govt. of NCT of Delhi, 14, Darya Ganj, Delhi-2 — Centralised Diary, Diary No. 1807, Date 5/3/13

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE Lt. GOVERNOR OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,

(MOHAMMED A ABID)
Addl. Secretary (Revenue)

F No. 7(14)/~~REV./GA~~/Rev. P/DC/2012/ 3302 **Dated the** 22-2-**2013**

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in part-IV, Delhi Gazette (Extra Ordinary).
2. All District Magistrates/Deputy Commissioners, Revenue Deptt., Govt. of N.C.T. of Delhi.
3. All Addl. Districts Magistrates, Revenue Deptt. , Govt. of N.C.T. of Delhi.
4. All Sub. Divisional Magistrates, Revenue Deptt. , Govt. of N.C.T. of Delhi.
5. All Tehsildars, Revenue Deptt. , Govt. of N.C.T. of Delhi.
6. Dy. Controller of Accounts, Revenue Deptt. , Govt. of N.C.T. of Delhi.
7. AD(Planning) , Revenue Deptt. , Govt. of N.C.T. of Delhi.
8. System Analyst, Revenue Department for uploading the notifications on departmental website .
9. P.A. to Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi.
10. Guard file.

(RAJIV KUMAR)
SUB DIVISIONAL MAGISTRATE-I (HQ)

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग–4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
राजस्व विभाग ,
5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली

सं.फा. 7(14)/राज0/जीए/राज0–पी/मं. आयु./2012 3302 दिनांकः 22-2-2013

अधिसूचना

सं.फा. 7(14)/राज0/जीए/राज0–पी/मं. आयु./2012 .–उपायुक्त/समाहर्ता, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की नियुक्ति करने संबंधी सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा दिल्ली भू राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 74 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सम्बद्ध जिलो तथा मुख्यालय, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी उपायुक्तों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में क्रमशः सम्बद्ध जिलों एवमं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समाहर्ता एवमं उपायुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं और उन्हें कार्य ग्रहण की तिथि से और उपायुक्त के पद पर बने रहने तक, या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 तथा दिल्ली भू राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत समाहर्ता एवं उपायुक्त के कार्यो के निर्वहन के लिये सशक्त करते हैं।

2. इसके आगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब काश्तकारी अधिनियम, 1887 की धारा 105 (1)(क), पंजाब भू–राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27 (1)(क), उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14 तथा पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी एवं विखंडन रोकथाम), अधिनियम, 1948 की धारा 41 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत सम्बद्ध जिलों एवं मुख्यालय, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी उपायुक्तों को समाहर्ता की सारी शक्तियां प्रदत्त करते हैं और राजस्व विभाग मे उपायुक्त के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से तथा उनके उक्त पद पर बने रहने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उनके सम्बद्ध जिलों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में क्रमशः उक्त अधिनियम की धारा 21 (3) के अन्तर्गत पारित बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) के आदेशों के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा 21 (4) के अन्तर्गत अपीलों की सुनवाई की शक्तियां उन्हे सौंपते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(मुहम्मद ऐ आबिद)
अतिरिक्त सचिव (राजस्व)

सं.फा. 7(14)/राज0/जीए/राज0–पी/मं. आयु./2012 3302 दिनांकः 22-2-2013
प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :–

1. उप–सचिव (सा0प्र0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
3. समस्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
4. समस्त सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
5. समस्त तहसीलदार/चकबंदी अधिकारी राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
6. उप–नियंत्रक लेखा, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
7. सहायक निदेशक (योजना), राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
8. प्रणाली विश्लेषक, राजस्व विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अधिसूचना को अपलोड करने हेतु।
9. नि.स. सचिव (राजस्व)/मंडलीय आयुक्त। गार्ड फाईल।

(राजीव कुमार)